रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/98 REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74] नई दिल्ली, रविवार, अप्रैल 4, 1999/चैत्र 14, 1921
No. 74] NEW DELHI, SUNDAY, APRIL 4, 1999/CHAITRA 14, 1921

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 1999

संख्या 371/20/99-ए. वी. डी.-III.—भारत के उच्चतम न्यायालय ने विनीत नारायण तथा अन्य बनाम भारत संघ संबंधी आपराधिक रिट याचिका संख्या 340-343/1993 में 18 दिसम्बर, 1997 को अपने आदेश में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्देश दिए कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सांविधिक दर्जा प्रदान किया जाए ;

और उक्त प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति ने 25 अगस्त, 1998 को केन्द्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश, 1998 (अध्यादेश 15/1998) तथा 27 अक्टूबर, 1998 को केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश 1998 प्रख्यापित किया था ;

और पूर्वोक्त अध्यादेशों का प्रतिस्थापित करने के लिए 7 दिसम्बर, 1998 को लोक सभा में केन्द्रीय सतर्कता आयोग, विधेयक 1998, पुरस्थापित किया गया था ;

और राष्ट्रपति ने, 8 जनवरी, 1999 को अन्य बातों के साथ-साथ उपर्युक्त विधेयक के उपबंधों को लागू करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश 1999 (अध्यादेश 4/1999) प्रख्यापित किया था ;

और उक्त विधेयक, लोक सभा ने पारित कर दिया है तथा राज्य सभा के समक्ष लम्बित है ;

और केन्द्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश, 1999 (अध्यादेश 4/1999) संविधान के अनुच्छेद 123 के खण्ड 2 के उप खण्ड (क) के अनुसार 5 अप्रैल, 1999 को समाप्त हो रहा है ;

और 5 अप्रैल, 1999 के बाद, केन्द्रीय सतर्कता आयोग को बनाए रखना अनिवार्य हो गया है ;

अतः केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह संकल्प करती है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश 1998 की धारा 3 तथा विद्यमान अध्यादेश की धारा 3 के अन्तर्गत गठित केन्द्रीय सतर्कता आयोग इस संकल्प की तारीख को इस तथ्य के रहते हुए भी कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश 1999 (अध्यादेश 4/1999) संविधान के अनुच्छेद 123 के खण्ड (2) के उप खण्ड (क) के अनुसार 5 अप्रैल, 1999 को कार्य करना बंद कर देगा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन तथा अपनी शक्तियों का प्रयोग इस संकल्प के आधीन, जो कि अध्यादेश की समाप्ति के तुरंत बाद, लागू होगा, करता रहेगा ।

2. केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त, अन्य सतर्कता आयुक्त, आयोग के अधिकारी तथा कर्मचारी केन्द्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश, 1999, के द्वारा गठित, इस संकल्प की तारीख को लागू अपनी नियुक्ति की उन्हीं सेवा-शर्तों के अनुसार अपने-अपने पदों पर बने रहेंगे ।

3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निम्नलिखित कृत्य तथा शक्तियां होंगी अर्थात् :-

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए किसी ऐसे निर्देश पर जांच करना या जांच करवाना या अन्वेषण करवाना जिसमें यह अभिकथन किया गया है कि केन्द्रीय सरकार या किसी केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम, उस सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन सरकारी कम्पनी, सोसाइटी और किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी कर्मचारी ने लोक सेवक के रूप में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन कोई अपराध कारित किया है ;

(ii) निम्नलिखित कर्मचारियों की श्रेणियों से संबंधित किसी कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत के संबंध में जांच-पड़ताल अथवा अन्वेषण करवाना, अर्थात् :—

(क) केन्द्रीय सरकार के समूह "क" अधिकारी ;

(ख) किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सरकारी कम्पनियों, सोसाइटियों और अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के ऐसे स्तर के अधिकारी जिन्हें यह सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा शासकीय राजपत्र में विनिर्दिष्ट करें,

जिसमें यह अभिकथित किया गया है कि ऐसे कर्मचारी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत कोई अपराध कारित किया है ;

(iii) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अभियोजन की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारियों के पास लम्बित आवेदनों की प्रगति का पुनर्विलोकन करना ;

(iv) केन्द्रीय सरकार, किसी केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सरकारी कम्पनियों, सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकारियों को ऐसे विषयों पर सलाह देना जो इसे उस सरकार, उक्त सरकारी कम्पनियों, सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा या अन्यथा निर्दिष्ट किए जाएं ;

(v) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, उस सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सरकारी कम्पनियों, सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकारियों के सतर्कता प्रशासन के ऊपर अधीक्षण रखना ।

4. आयोग की कार्यवाहियां इसके वर्तमान प्रधान कार्यालय में संचालित की जाएंगी।

5. आयोग अपने कार्य करने की बावत प्रक्रिया के ऐसे नियमों तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगा ।

6. केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त या यदि किसी कारण वह आयोग की किसी बैठक में उपस्थित होने के अयोग्य हो तो बैठक में उपस्थित ज्येष्ठतम सतर्कता आयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा ।

वें. लक्ष्मीरतन, अपर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

RESOLUTION

New Delhi, the 4th April, 1999

No. 371/20/99-AVD. III.—WHEREAS the Supreme Court of India Vide its Order dated the 18th December, 1997 in Criminal Writ Petition numbers 340-343 of 1993 - Vineet Narain and others versus Union of India has inter alia given directions that statutory status should be conferred upon the Central Vigilance Commission;

AND WHEREAS the President was pleased to promulgate the Central Vigilance Commission Ordinance, 1998 (Ord.15 of 1998) on the 25th day of August, 1998 and the Central Vigilance Commission (Amendment) Ordinance, 1998 (Ord.18 of 1998) on the 27th day of October, 1998 for the said purpose;

AND WHEREAS the Central Vigilance Commission Bill, 1998 was introduced in the House of the People on the 7th day of December, 1998 to replace the said Ordinances;

AND WHEREAS the President was pleased to promulgate the Central Vigilance Commission Ordinance, 1999 (Ord.4 of 1999) on the 8th day of January, 1999 inter alia to give effect to the provisions of the aforesaid Bill;

AND WHEREAS the aforesaid Bill has been passed by the House of the People and is pending before the Council of States;

AND WHEREAS the Central Vigilance Commission Ordinance, 1999 (Ord.4 of 1999) is expiring on the 5th April, 1999 in terms of sub-clause(a) of clause (2) of article 123 of the Constitution;